



अमृतसर में सीमा पार हथियार- हेरोइन नेटवर्क का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार



चंडीगढ़/अमृतसर, 10 अगस्त 2026: पंजाब पुलिस ने सीमा पार से संचालित नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े दो नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 अवैध पिस्तौल, 1.054 किलोग्राम हेरोइन, एक ड्रोन और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेशी तस्करो के संपर्क में थे, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से हथियारों और हेरोइन की सप्लाई में मदद कर रहे थे। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और विदेशी हैंडलरों की पहचान के लिए जांच जारी है।

अमृतसर पुलिस आयुक्त हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कुलदीप सिंह उर्फ भुल्लर और हुसनप्रीत सिंह को दो पिस्तौल व दो कारतूसों सहित पकड़ा गया।

सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप में मीत हेयर ने जीते तीन खिताब



चंडीगढ़, 10 अगस्त 2026: नई दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित छठी राष्ट्रीय संसद सदस्य बैडमिंटन चैंपियनशिप में संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन वर्गों में खिताब जीते, जबकि एक वर्ग में उपविजेता रहे।

सांसद पुरुष एकल के फाइनल में मीत हेयर ने उदय श्रीनिवास को कड़े मुकाबले में 11-21, 21-17, 22-20 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरुष युगल में उन्होंने के.डी. सिंह के साथ जोड़ी बनाकर आगा सैयद रुहेला और मेधा रघुनंदी रेड्डी को 21-13, 18-21, 21-14 से मात दी।

सांसद एवं साझेदार युगल वर्ग में मीत हेयर और बिप्लव मिश्रा ने अरशद खान और राजीव प्रताप रूडी को 21-10, 21-16 से हराकर तीसरा खिताब जीता। वहीं, सांसद मिश्रित युगल में मीत हेयर और रेजीता रंजन उपविजेता रहे।

पंजाब विधानसभा ने व्यापार सुगमता बढ़ाने वाला PGST संशोधन विधेयक-2026 किया पारित



चंडीगढ़, 10 अगस्त 2026: पंजाब विधानसभा ने कारोबार को आसान बनाने, कर अनुपालन को सरल करने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (PGST) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। वित्त एवं आबकारी तथा कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने विधेयक सदन में पेश किया।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि संशोधनों का उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रियागत बाधाओं को कम करना, स्व-अनुपालन को बढ़ावा देना और कार्यशील पूंजी की तरलता में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि नए प्रावधान पंजाब में व्यापार एवं उद्योग के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद करेंगे।

विधेयक के तहत PGST कानून की धारा 15 और 34 में संशोधन किया गया है। अब आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच पूर्व समझौते को अनिवार्य किए बिना क्रेडिट नोट के माध्यम से बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट को आपूर्ति के मूल्य से बाहर किया जा सकेगा। इसके साथ ही, किसी भी व्यावसायिक कारण से दी गई पोस्ट-सेल छूट के लिए क्रेडिट नोट जारी करने की अनुमति होगी। इससे व्यापारियों और उद्योगों के लिए विभिन्न व्यावसायिक छूटों का कर समायोजन आसान होगा।

धारा 54 में किए गए संशोधनों के तहत इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के 90 प्रतिशत अंतरिम रिफंड का लाभ बढ़ाया गया है। इसके अलावा, वस्तुओं के निर्यात पर भुगतान किए गए

IGST के रिफंड के लिए पहले लागू 1,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। इससे छोटी राशि के रिफंड के पात्र निर्यातकों को भी राहत मिलेगी।

चीमा ने कहा कि इन सुधारों से करदाताओं का अनुपालन बड़ा घटेगा, कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बेहतर होगी और निर्यातकों समेत विभिन्न कारोबारी वर्गों को वित्तीय राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में निवेश और कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए कर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यापार अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

पंजाब में सिंचाई क्रांति: 19,316 जलमार्ग बहाल, 1,687 स्थानों तक पहली बार पहुंचा नहरी पानी

चंडीगढ़, 10 अगस्त 2026: पंजाब विधानसभा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नहरों और जलमार्गों की बहाली तथा नहरी पानी को खेतों के अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। जल संसाधन एवं मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य भूजल पर निर्भरता घटाकर नहरी सिंचाई को बढ़ावा देना और पंजाब के कृषि भविष्य को सुरक्षित करना है।

गोयल ने कहा कि लंबे समय तक भूजल के अत्यधिक इस्तेमाल से राज्य के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। इसे देखते हुए 2023 में सरकार ने जलमार्गों और भूमिगत पाइपलाइनों के निर्माण में किसानों का 10 प्रतिशत अंशदान समाप्त कर दिया और पूरी लागत सरकार द्वारा वहन करने का फैसला किया। इससे रुके हुए प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हुए।

उन्होंने बताया कि अब तक करीब 19,316 जलमार्ग बहाल किए जा चुके हैं, जबकि 1,687 स्थानों पर पहली बार नहरी पानी पहुंचा है। सरहाली डिस्ट्रीब्यूटरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि

करीब छह किलोमीटर लंबी भूमिगत हो चुकी माइनर को बहाल कर 4,737 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिली है।



मंत्री ने कहा कि मौजूदा नहरों की क्षमता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सरहिंद फीडर और फिरोजपुर फीडर समेत कई नहरों की चौड़ाई और गहराई बढ़ाई गई है। राज्य की नहर प्रणाली की क्षमता अब करीब 36,000 क्यूसेक हो गई है और कई हिस्सों में पानी का प्रवाह करीब 39,000 क्यूसेक तक पहुंचा है।

कठगढ़ में 135 करोड़ रुपये की लिफ्ट सिंचाई योजना से लगभग 70 फीट ऊंचे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर 11,737 एकड़ भूमि को लाभ मिला। वहीं कादियां क्षेत्र में 30.50 करोड़ रुपये की लागत से रियारकी डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता 216 से बढ़ाकर 385 क्यूसेक की गई और करीब 5.5 किलोमीटर कंक्रीट लाइनिंग की गई, जिससे लगभग 43,000 एकड़ क्षेत्र को लाभ मिला।

गोयल ने कहा कि नहरी सिंचाई के विस्तार का सकारात्मक असर भूजल पर भी दिख रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के 153 आकलन ब्लॉकों में से 74 ब्लॉकों यानी करीब 48 प्रतिशत में भूजल स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब अपने जायज जल हिस्से की रक्षा करेगा, लेकिन मानवीय आधार पर हरियाणा की आपात जरूरत के दौरान अपने हिस्से से 4,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया गया। गोयल ने लोगों से पानी की बर्बादी रोकने और हर बूंद का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की।

पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, निजी ठेकेदारी व्यवस्था होगी खत्म



चंडीगढ़, 10 अगस्त 2026: पंजाब विधानसभा ने कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारों से जुड़ा बड़ा फैसला लेते हुए 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सिड पर्सनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्टुअल एंगेजमेंट) बिल-2026' को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कानून से सरकारी रोजगार में दशकों पुरानी ठेकेदारी आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म होगी और कर्मचारियों तथा सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में करीब 26,000 से 28,000 पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार के साथ सीधे अनुबंध के तहत लाया जाएगा। यह व्यवस्था ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के उन पात्र कर्मचारियों पर लागू होगी, जो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत हैं और निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं।

नए कानून के तहत कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड (PF), ग्रेज्युटी, ESI, मैटरनिटी लीव और साल में 10 दिन कैजुअल लीव जैसे लाभ मिलेंगे। उनकी तनखाह मौजूदा वेतन या कानूनी न्यूनतम वेतन, जो भी लागू हो, उससे कम नहीं होगी।

इसके अलावा कर्मचारियों के लिए आई.एच.आर.एम.एस. खाते की व्यवस्था होगी, जिससे सेवा रिकॉर्ड और रोजगार प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों से वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब उनकी कमाई से नहीं काटा जाएगा। इस राशि का लाभ सीधे कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे उनकी वास्तविक आय में बढ़ोतरी होगी।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के हजारों आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से सरकारी सेवाओं और जनकल्याण योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन निजी ठेकेदारी व्यवस्था के कारण उन्हें नौकरी की अनिश्चितता और आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि यह कानून कर्मचारियों को 'आउटसोर्सिड' से 'इन-सोर्सिड' कर्मचारी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

Innovation & Excellence

Advertisement

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from **SquareNet**

Secure & Reliable

Professional Email

Cloud Integration

24/7 Expert Support

Scalable for Every Business

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com

mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

Visit Us: www.azadvani.com

For Enquiry Call: **+91-90414-88440**

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015